


पुस्तकों के क्रय हेतु नियम एवं शर्तें

महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय हेतु पुस्तकें (सूची इस पत्र के साथ संलग्न) क्रय की जानी हैं। अतः प्रकाशकों/पुस्तक सप्लायरों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कोटेशन में पुस्तकों पर लिखित मूल्य पर दी जानी वाली अधिकतम छूट का उल्लेख करते हुए एक सीलबन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा विलम्बतम 27-06-2021 के शायं पांच बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि व समय के पश्चात कोई भी कोटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा वांछित पुस्तकें निम्न प्रतिबन्धों के साथ ही क्रय की जायेगी-

1. क्रयादेश आवश्यकतानुसार किशतों में दिया जायेगा।
2. सभी पुस्तकों पर न्यूनतम 20% (बीस प्रतिशत) की छूट वांछित है। अतः कोटेशनदाता अपनी कोटेशन में इससे अधिक कितनी छूट उपलब्ध करा सकते हैं का उल्लेख करें।
3. पुस्तकें महाविद्यालय में पहुँचाने हेतु किसी प्रकार का किराया भाड़ा देय नहीं होगा।
4. महाविद्यालय द्वारा वांछित पुस्तकों की सूची में उल्लिखित पुस्तकों के अलावा उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगी।
5. पुस्तकें क्रयादेश एवं पुस्तक सूची प्राप्ति के 10 दिन के भीतर महाविद्यालय तक पहुँचाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रकाशक/बुक सप्लायर एजेन्सी की होगी।
6. पुस्तकों/सन्दर्भ ग्रन्थ/कोष ग्रन्थ आदि अलग-अलग प्रकाशकों के होंगे। पुस्तकें कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के विषयों से सम्बन्धित होंगी। **समस्त पुस्तकें पेपरबैक संस्करण ही स्वीकार्य होंगी।**
7. पुस्तकों का मूल्य स्पष्ट रूप से पुस्तकों पर मुद्रित होना चाहिए किसी भी प्रकार की कटिंग, मूल्य के उपर अलग से स्लिप लगा होना एवं हाथ से लिखा होना स्वीकार नहीं होगा।
8. कोटेशन दिनांक 28-06-2021 को अधौहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रकाशकों एवं उनके प्रतिनिधियों तथा क्रय समिति के सम्मुख प्रातः 11:00 बजे खोले जायेंगे।
9. कोटेशन को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार अधौहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

1. NANA 14/06/2021
2. Vimal
3. 14/06/2021
4. 14/06/21
5. 14/06/21
6. 14/06/2021

5/1

  
प्राचार्य  
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)